942
07/6/2024

(22)

झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष–2024–25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–39, दिनांक–24.05.2024 एवं आवंटनादेश संख्या–67, दिनांक–06.06.2024 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत **अनुसूचित जनजाति** के छात्र–छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा–9 एवं 10) हेतु **केन्द्राश** मद में अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 400.00 लाख (चार करोड़ रू0) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 1501.135 लाख (पन्द्रह करोड़ एक लाख तेरह हजार पांच सौ रू0) कुल 1901.135 लाख (उन्नीस करोड़ एक लाख तेरह हजार पांच सौ रू0) मात्र राशि की स्वीकृति एवं आवंटन इस कार्यालय को प्राप्त है।

2. प्राप्त आवंटनादेश की कंडिका–3 के अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020, दिनांक–23.03.2021 एवं F.No. 1(13)/PFMS/FCD/2022, दिनांक–07.07.2021 के अंतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

3. प्राप्त आवंटनादेश की कंडिका–4 के अनुसार आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची आवंटन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि की निकासी कर SNA के खाता में संधारित करेंगे तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित IA को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.No.I(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक–23.03.2021 की कंडिका–3 के अनुरूप Drawing Limit राशि निर्धारित करेंगे एवं कंडिका–7 "The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the IAs who Should be able to draw funds on real time basis from the SNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts." का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

4. उपर्युक्त प्राप्त आवंटन अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 400.00 लाख (चार करोड़ रू0) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 1501.135 लाख (पन्द्रह करोड़ एक लाख तेरह हजार पांच सौ रू0) कुल 1901.135 लाख (उन्नीस करोड़ एक लाख तेरह हजार पांच सौ रू0) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. (i) **अन्य क्षेत्रीय उपयोजनाः–** कुल भारित व्यय की राशि 400.00 लाख (चार करोड़ रू0) मात्र वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्रीय योजनागत योजना आय–व्ययक शीर्ष ''2225 – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण – 02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – लघु शीर्ष – 277 – शिक्षा – उपशीर्ष –A1–कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रा के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान – 50 – छात्रवृत्ति/वजीफा – 51C222502277AI010650'' के अन्तर्गत विकलनीय है।

(ii) **जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनाः–** कुल भारित व्यय की 1501.135 लाख (पन्द्रह करोड़ एक लाख तेरह हजार पांच सौ रू0) मात्र वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्रीय योजनागत योजना आय–व्ययक शीर्ष ''2225 – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण – 02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – लघु शीर्ष – 796 – जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना – उपशीर्ष –A1–कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रा के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान – 50 – छात्रवृत्ति/वजीफा – 51C222502796AI010650'' के अन्तर्गत विकलनीय है।

6. कोषागार से उपर्युक्त राशि की निकासी हेतु अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची को प्राधिकृत किया जाता है।

7. योजना का क्रियान्वयन विभागीय संकल्प संख्या 2583, दिनांक–29.08.2022 के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या–2585, दिनांक– 29.08.2022 तथा संकल्प संख्या–859, दिनांक–12.04.2023 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना का क्रियान्वयन, भुगतान, नियंत्रण एवं अनुश्रवण का दायित्व संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा।

21

9. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आवंटित राशि की निकासी के पश्चात किसी कारणवश छात्र/छात्राओं के बचत खातों में PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अन्तरित नहीं होने पर छात्रवार पूर्ण विवरण को उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इस समस्या के निराकरण के लिए परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

10. यदि किसी छात्र/छात्रा को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की किसी भी अन्य छात्रवृत्ति की योजना का लाभ मिल रहा हो तो उसे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उपायुक्त लाभुकों को देय छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान की जाँच सुनिश्चित करते हुए संतुष्ट हो लेंगे कि वास्तव में छात्र–छात्राओं को राशि प्राप्त हुई है या नहीं।

14. राशि की निकासी एवं संवितरण में वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–322, दिनांक–28.01.2002, पत्रांक–1800, दिनांक–15.07.2013 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों, संकल्पों, परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

16. संबंधित जिला कल्याण पण्दाधिकारी जाँचोपरान्त राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

17. संबंधित परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी योजना से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह निम्न प्रपत्र में विभाग को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे:–

क्र०	विदयालय का नाम	भुगतान की गयी राशि			लाभुक			अभ्युक्ति
		दिवाकालीन (डे स्कॉलर) के लिए	छात्रवासी (हॉस्टेलर) के लिए	कुल (3+4)	दिवाकालीन (डे स्कॉलर) छात्र–छात्राओं की संख्या	छात्रवासी (हॉस्टेलर) छात्र–छात्राओं की संख्या	कुल (6+7)	
1	2	3	4	4	6	7	8	9

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. लेखा–शाखा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची को आदेश दिया जाता है 1901.135 लाख (उन्नीस करोड़ एक लाख तेरह हजार पांच सौ रू0) मात्र की निकासी कर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0, रांची के SNA खाता संख्या–115101000497, IFS Code-ICIC0000292 में राशि हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

25/7/6

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक– 942 *राँची, दिनांक–*07-6-2024

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/7/6

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक– 942 *राँची, दिनांक–* 07-06-2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय/लेखा–शाखा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आदेश दिया जाता है कि राशि SNA खाता में हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेंगे।

25/7/6

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

(20)

ज्ञापांक– 942

रॉंची, दिनांक– 07-6-2024

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखंड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/बजट शाखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची/श्री अमित कुमार, सी0जी0जी0 के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/7/6

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक– 942

रॉंची, दिनांक– 07-6-2024

प्रतिलिपि– सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/7/6

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

19

वित्तीय वर्ष–2024–25 में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के कल्याणार्थ प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मद (केन्द्रांश) में उपावंटित राशि की विवरणी :–

क्र०	जिला	उपावंटित राशि
	अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत (OSP)	
1.	बोकारो	6924895.00
2.	चतरा	2934171.00
3.	देवघर	2000071.00
4.	धनबाद	4329825.00
5.	गढ़वा	4643808.00
6.	गिरिडीह	3259143.00
7.	गोड्डा	4058230.00
8.	हजारीबाग	2073857.00
9.	कोडरमा	182110.00
10.	पलामू	3916937.00
11.	रामगढ़	5676953.00
	कुल	40000000.00
	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत (TSP)	
12.	दुमका	9105059.00
13.	जमशेदपुर	20184290.00
14.	गुमला	9907325.00
15.	जामताड़ा	4051113.00
16.	खूँटी	7727614.00
17.	लातेहार	14226966.00
18.	लोहरदगा	1289225.00
19.	पाकुड़	3747777.00
20.	राँची	19866036.00
21.	साहेबगंज	2897441.00
22.	सरायकेला	10538861.00
23.	सिमडेगा	9219432.00
24.	चाईबासा	37352361.00
	कुल	150113500.00
	कुल योग (OSP+TSP)	190113500.00
	कुल (उन्नीस करोड़ एक लाख तेरह हजार पांच सौ रू०) मात्र	

आदिवासी कल्याण आयुक्त।